6/1/26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी पक्ष को बार-बार आवाज दिलवाई गई लेकिन न्यायालय समक्ष उपस्थित नहीं आये। वकील अप्रार्थी उप। मूल वाद अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जा चुका है। इसलिए इस आवेदन पत्र अ० धारा 212 बी०एन०एस० को आगे न चलाये जाने का औचित्य नहीं है। अतः आवेदन पत्र अ० धारा 212 बी०एन०एस० प्रार्थी अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली पर मूल वाद खारिज होकर वाद कार्यवाही अंतिम रूप से समाप्त है। निर्णय आज दिनांक 6/1/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर